न्यायालय :– अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–02 आबूरोड, जिला सिरोही ।

पीठासीन अधिकारी	:	**सुरेश कुमार, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण सँख्या	:	25/2021(15/2023)
सी.आई.एस.सँख्या	:	34/2021

01– राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक आबूरोड, जिला सिरोही ।

..... **अभियोगी**

बनाम

01– प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम, उम्र 20 साल, निवासी गिरवर, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही ।

..... **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 व 308 भारतीय दण्ड संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 103/2021 आरक्षी केन्द्र आबूरोड सदर

उपस्थिति :–
01– श्री दिनेश खण्डेलवाल, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।
02– श्री सोहन सैन एवं सुश्री पूजा ठाकोर, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से ।
03– श्री रहीश कुरैशी, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

निर्णय

दिनाँक :– 29.07.2026

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u>

अपराध की तिथि	30.03.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	31.03.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	18.11.2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	16.08.2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	24.07.2023
बहस अंतिम	29.07.2026
निर्णय की तिथि	29.07.2026

01– प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी श्री जगाराम पुत्र अमराराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 30.03.2021 को उसके तीनों पुत्र गंगाराम, गजराराम व जयन्तीलाल उपलागढ मेले में गए थे, वही गंगाराम का ससुराल भी आया हुआ है। लगभग शाम को 04.30 बजे मेले में प्रकाश पुत्र कीका व उसके साथ 3–4 जने और थे, ने उसके पुत्र के साथ बिना वजह गाली गलौच की, जब उसके पुत्र गंगाराम ने गाली गलौच करने से मना किया तो प्रकाश व उसके साथी नाराज हो गये व प्रकाश ने जान से मारने की नियत से उसके पुत्र के सिर में चाकु से 2–4 बार किये, जिससे वह वहीं गिर गया। उसके दुसरे पुत्र ने उसके हाथ से चाकु छीन लिया, नहीं तो

उसे जान से मार देते। बीच–बचाव में आये उसके पुत्र जयंती के भी सिर में पत्थर की मारी, तभी वहाँ उसके ससुराल वाले आए, तो प्रकाश अपनी मोटरसाईकिल को छोडकर भाग गया, जो गंगाराम के ससुराल में खडी है। तत्पश्चात् उन्हें अस्पताल लेकर गए। अतः मुलजिम के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करावे..... इत्यादि ।

02– उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र आबूरोड सदर द्वारा एफआईआर सँख्या 103/2021 जुर्म धारा 143, 341 व 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम के विरूद्ध धारा 341, 323, 324 व 308 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड को कमीट होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सिरोही के आदेश क्रमांक 154 दिनांक 26.06.2023 को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 आबूरोड से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विचारण इस निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है ।

03– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम के विरूद्ध धारा 341, 323 324 व 308 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पृथक से विरचित किये जाकर आरोप अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

04– अन्वीक्षा में अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण एवं दस्तावेजात को परीक्षित करवाया :–

मौखिक साक्षीगण :–

क्रम सँख्या	**गवाह सँख्या**	**गवाह का नाम**
1	पी.ड.1	गजरा
2	पी.ड.2	गलबाराम
3	पी.ड.3	जयंतीलाल
4	पी.ड.4	जगाराम
5	पी.ड.5	पुराराम
6	पी.ड.6	गंगाराम
7	पी.ड.7	डॉ. गौरव मेवाडा
8	पी.ड.8	गेनाराम
9	पी.ड.9	मोतीलाल
10	पी.ड.10	भंवर सिंह
11	पी.ड.11	गंभीर लाल
12	पी.ड.12	रामावतार

उक्त साक्षीगण से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह पूर्ण की गई । साक्ष्य अभियोजन दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रदर्श डी.1 न्यायालय की आदेशिका, डी.2 प्रार्थना पत्र वास्ते जुर्म स्वीकार एवं डी.3 चोट प्रतिवेदन अभियुक्त प्रकाश, दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया ।

दस्तावेजी साक्ष्य :–

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज का नाम**	**प्रदर्श क्रमांक**	**दस्तावेज का नाम**
प्रदर्श पी.1	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	प्रदर्श पी.2 व पी.2 ए	गजराराम उर्फ गजाराम के बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी एवं प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी.3	चोट प्रतिवेदन जयंतीलाल	प्रदर्श पी.4 व पी.5	फर्द बरामदगी छुरी व फर्द जब्ती मजरूब गंगाराम की वक्त घटना पहनी शर्ट व बनियान
प्रदर्श पी.6	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी.7 लगायत पी.12	गंगाराम का चोट प्रतिवेदन, एक्सरे कवर नोट व एक्सरे प्लेट
प्रदर्श पी.13 व पी.13 ए	गंगाराम के बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी एवं प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी.14	चोट के संबंध में पुलिस थाना आबूरोड सदर द्वारा जारी तहरीर का जवाब
प्रदर्श पी.15	गेनाराम के बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी एवं प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी.16 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी.17 लगायत पी.19	एफएसएल जमा करवाने बाबत् जारी अग्रेषण पत्र एवं प्राप्त रसीद	प्रदर्श पी.20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रकाश
प्रदर्श पी.21	धारा 41 सीआरपीसी की पालना बाबत् रिपोर्ट	प्रदर्श पी.22 लगायत पी.26	मजरूब गंगाराम के ईलाज बाबत् डॉक्टर की पर्चियां
प्रदर्श पी.27	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी.28	आर्टिकल 01 पर लगा चेपा
प्रदर्श पी.29	एफएसएल रिपोर्ट	आर्टिकल 01	घटना में प्रयुक्त छुरी

05– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्त को परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना नहीं चाहते हुए कथन किया है किः–

''मैं निर्दोष हूं, मुझे झुंठा फंसाया है। मेरे साथ परिवादी पक्ष के लोगों ने मारपीट कर मुझे चोटें पहुंचाई थी, जिसके संबंध में मेरे पिता ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मेरे पिता द्वारा रिपोर्ट दिए जाने की जानकारी होने पर परिवादी पक्ष ने बचाव में झुंठा केस किया है।''

06– बहस अन्तिम सुनी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की यह बहस रही कि परिवादी पक्ष ने अभियुक्त को रोककर उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त की ओर से दर्ज करवाई गई। उक्त मुकदमें में दबाव बनाने के आशय से हस्तगत प्रकरण दर्ज करवाया गया। प्रकरण में परीक्षित समस्त साक्षीगण हितबद्ध है। घटनास्थल मेला था, जिसमें काफी भीड थी, परंतु किसी भी स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया। आगे तर्क रहा है कि अभियुक्त द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी पक्ष के विरूद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश हुआ, जिससे प्रकट है कि परिवादी पक्ष ने अग्रसर होकर अभियुक्त के साथ मारपीट की। अभियोजन की कहानी के अनुसार घटना के रोज ही अभियुक्त से चाकु छीन लिया गया, जबकि उक्त चाकु न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाते समय प्रस्तुत किया गया, न ही नक्शामौका बनाते समय। घटना के 15 दिन बाद उक्त चाकु की बरामदगी बताई गई है, जो पूर्णतः संदिग्ध है। चोट प्रतिवेदन में आहत के तलवार से चोट आना दर्शित किया गया है, जबकि बरामदगी चाकु की है। अतः आहत के चोटें चाकु से थी या तलवार से, यह पूर्णतः संदिग्ध है। आगे तर्क रहा है कि अभियुक्त व आहत की पूर्व में ना तो कोई रंजिश थी, न ही अभियुक्त का

मानव वध का कोई मोटिव था। चोट प्रतिवेदन के अनुसार आहत के सामान्य प्रकृति की चोटें पाई गई। ऐसी स्थिति में धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित नहीं होता। चोट प्रतिवेदन में ऐसी भी कोई राय नहीं आई कि आहत की चोटें प्राणघातक हो या उक्त चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। अंत में इस तर्क पर बल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दबाव बनाने के आशय से हस्तगत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

01. (2013) 3 CriLR 1312 Azam Ali Khan Vs. State of Rajasthan Dated 17.05.2013 Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur Bench.

02. S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 474/2020 Sooraj Mal Vs. State of Rajasthan & Others.

07– विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक की संयुक्त बहस रही कि घटना के रोज मेले में अभियुक्त ने चाकु से जयंतीलाल व गंगाराम के साथ मारपीट की। गंगाराम के सिर पर धारदार हथियार से चोटें कारित होना प्रमाणित है। अभियोजन की ओर से परीक्षित समस्त साक्षीगण ने अभियोजन की कहानी का पूर्णतः समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

08– हमने विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

"01– क्या दिनांक 30.03.2021 को सांय 04.30 बजे के लगभग उपलागढ स्थित भाखर बाबा मेला स्थल पर अभियुक्त ने आहत गंगाराम व जयंतीलाल को साशय रोका तथा धारदार छुरी से मारपीट कर साधारण चोटें कारित की, यदि उक्त चोटों से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त मानव वध का दोषी होता ?

"02– क्या अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर दिया है ? यदि हाँ, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ?

09– उपरोक्त बिंदु के संदर्भ में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने के अनुक्रम में अभियोजन ने कुल 12 गवाह परीक्षित करवाए व कुल 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण की आधारशिला लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 06 में प्रार्थी जगाराम ने कथन किया है कि 30.03.2021 को उसके तीनों पुत्र गंगाराम, गजराराम व जयंतीलाल उपलागढ मेले में गए थे। शाम करीब 04.30 बजे मेले में उसके पुत्र के साथ प्रकाश व उसके 3–4 साथियों ने गाली–गलौच की तब उसके पुत्र गंगाराम ने गाली–गलौच करने से मना किया तो प्रकाश व उसके साथी नाराज हो गए व प्रकाश ने जान से मारने की नियत से उसके पुत्र के सिर में चाकु से 2–4 वार किए, जिससे वह गिर गया। उसके दुसरे पुत्र ने उसके हाथ से चाकु छीन लिया, नहीं तो उसे जाने से मार देते। बीच–बचाव में आए उसके पुत्र जयंती के भी सिर में पत्थर की मारी, तभी वहां उसके पुत्र के ससुराल वाले आ गए तो प्रकाश अपनी मोटरसाईकिल

छोडकर भाग गया। उक्त घटना उसके पुत्र गंगाराम ने उसे बताई। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट में प्रकाश व उसके साथियों द्वारा गंगाराम व जयंतीलाल के साथ पत्थर व चाकु से मारपीट करना दर्शित किया है।

10– अभियोजन की ओर से साक्षी गजरा बतौर पी.ड.01 परीक्षित हुआ। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 30.03.2021 को वह, उसका भाई गंगाराम भाकर बाबा के मेले में उपलागढ गए, जहां जयंतीलाल पहले से मेले में गया हुआ था। प्रकाश ने जयंती को मारा फिर गंगा ने प्रकाश से पूछा कि जयंती को क्यों मारा, तो प्रकाश ने कहा कि उसे भी जान से मार देगा। तत्पश्चात् शाम 04.30 बजे प्रकाश ने गंगाराम के सिर पर चाकु से चोट मारी व प्रकाश ने उसके साथ भी मारपीट की फिर प्रकाश बाईक छोडकर भाग गया। जयंती ने झगडे के दौरान प्रकाश के हाथ में से चाकु ले लिया था। आगे उक्त साक्षी घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाने व धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी 02 प्रदर्शित करवाना कथन करता है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि उपलागढ में उसके भाई गंगा का ससुराल है। रमेश पुत्र लसमा उसका बहनोई है व रमेश पुत्र सकराराम उसके काका का साला है। आगे उक्त साक्षी चाकु अपनी आंखों से देखना, चाकु पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना कथन करता है व अंत में इन सुझावों को स्वीकार करता है कि दोनों पक्षों के खिलाफ केस हुए थे।

11– पी.ड.02 गलबाराम ने सशपथ कथन किया है कि 03.04.2021 की बात है। दोपहर करीब 3–3.30 बजे पुलिस वाले मौका देखने उपलागढ आए थे। पुलिस वालों ने निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था। पुलिस ने प्रकाश के द्वारा गंगाराम के साथ चाकु से मारपीट करने बाबत् मौका देखा था।

12– घटना का चक्षुदर्शी साक्षी व आहत जयंतीलाल बतौर पी.ड.03 परीक्षित हुआ। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान से करीब 2.5 साल पहले वह उपलागढ में अपने भाई गजरा व गंगाराम के साथ मेला देखने गया था। शाम 04.00 बजे प्रकाश ने उसे रोककर पकडा व उसके बाएं गाल पर दो थप्पड मारी, वह भागने लगा तो पीछे से सिर में पत्थर मारा। इस बात का ओलबा गंगाराम ने प्रकाश को दिया तो पनाराम ने उसे आकर बताया कि गंगाराम के सिर में प्रकाश ने चाकु मारा है। तत्पश्चात् प्रकाश मोटरसाईकिल लेकर निकला तो उसने प्रकाश के हाथ से चाकु छीन लिया। आगे उक्त साक्षी स्वयं का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 व छुरी बरामदगी प्रदर्श पी 04 एवं शर्ट व बनियान बरामदगी प्रदर्श पी 05 पुलिस द्वारा तैयार करना व उक्त फर्दों पर उसके ए से बी हस्ताक्षर होना कथन करता है। बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी कथन करता है कि उसके व प्रकाश के बीच पहले से कोई लडाई–झगडा व रंजिश नहीं थी। प्रकाश ने उसे बिना बात किए थप्पड मारी थी और इस सुझाव को सही बताया कि उसने प्रकाश को चाकु से मारते हुए नहीं देखा था। आगे उक्त साक्षी प्रदर्श डी02 जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र में अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

13– प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता जगाराम बतौर पी.ड.04 परीक्षित हुआ। उक्त साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन उसके पुत्र गंगाराम, गजराराम व जयंतीलाल भाखर बाबा का मेला देखने गए थे, तब प्रकाश ने गंगाराम के चाकु मारी व जयंतीलाल के पत्थर की चोट मारी। आगे उक्त साक्षी घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 पुलिस को दिया जाना व पुलिस द्वारा नक्शामौका प्रदर्श पी 01 तैयार किए जाने का कथन करता है। बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी कथन करता है कि उसने घटना की रिपोर्ट चार दिन बाद दी थी। इस बात को भी सही बताता है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी।

14– पी.ड.05 पुराराम का मुख्य परीक्षण में कथन रहा है कि बयान से करीब 2.5 साल पूर्व की बात है। पुलिस ने उपलागढ में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका प्रदर्श पी 01 बनाया था तथा

जयंतीलाल ने एक छुरी व खुन लगा हुआ शर्ट पेश किया था, जिसे पुलिस ने थैली में डालकर सील किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 व 05 है। उक्त फर्दों पर उसके ए से बी हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि प्रकाश व गंगाराम के मध्य झगडें की बात, जब पुलिस आई तब उसे पता चला। पुलिस ने फर्दों पर क्या लिखापढी की, उसे पढकर नहीं सुनाया व इस बात को सही बताया कि परिवादी पक्ष उसके रिश्तेदार है।

15– आहत गंगाराम अभियोजन की ओर से बतौर पी.ड.06 परीक्षित हुआ, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बयान से करीब तीन साल पहले वह उपलागढ भाखर बाबा के मेले में गया था। वहां जयंती, गजरा व गनाराम भी थे। मेले में उसके भाई जयंती को प्रकाश ने थप्पड मारा। उक्त बात जयंती ने उसे बताई फिर उसने प्रकाश से पूछा तो उसने उसके सिर पर चार वार चाकु से किए, जिससे उसके सिर में खुन निकला फिर वहां से उसे डॉक्टर बंसल के अस्पताल में भर्ती करवाया और अगली सुबह सरकारी अस्पताल ले गए। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 से 12 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी कथन करता है कि हम चारों उस दिन ओटो रिक्शा से उपलागढ गए थे और इस बात को सही बताया है कि उसके व प्रकाश के मध्य कोई रंजिश नहीं है।

16– पी.ड.07 डॉ. गौरव मेवाडा का सशपथ कथन रहा है कि 31.03.2021 को वह सीएचसी आबूरोड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर था। उस दिन पुलिस तहरीर पर आहत गंगाराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 तैयार किया। मजरूब के सिर पर चार कटे हुए घाव थे, जिन पर सिलाई की हुई थी। पांचवी चोट पेट के दाहिनी तरफ निलगु था। चोट संख्या 01 से 04 की प्रकृति साधारण थी। उक्त चोटें प्राणघातक नहीं थी।

17– पी.ड.08 गेनाराम का कहना है कि 30.03.2021 को वह ओटो लेकर उपलागढ मेले में गया था। वहां प्रकाश ने गंगाराम को रोककर नीचे गिरा दिया व सिर पर चाकु से वार किए। उसी समय गजाराम भी आ गया था। उसके साथ भी प्रकाश ने थापों मुक्कों से मारपीट की। उसने बीच–बचाव कर छुडवाया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी इन सुझावों को सही बताता है कि उसने ससुराल वालों के कहने से पुलिस व मजिस्ट्रेट साहब को बयान दिया था, जैसा ससुराल वालों ने कहा था, वैसा ही उसने बयान दिया था।

18– पी.ड.09 व 10 मोतीलाल व भंवरसिंह ने प्रकरण में अनुसंधान कर अनुसंधान संबंधी साक्ष्य दी है। वहीं पी.ड.10 भंवरसिंह ने प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने संबंधी कथन किए हैं। पी.ड.11 गंभीर लाल ने प्रकरण में जब्तशुदा दो पैकेट एफएसएल में जमा करवाना कथन किया व पी.ड.12 रामावतार ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना कथन किया।

19– अभियोजन द्वारा अभिलेख पर पेश की गई उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण करे तो घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 जगाराम द्वारा दर्ज करवाई गई। उक्त साक्षी ने न्यायालय में परीक्षण के दौरान स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं था। उसने घटना नहीं देखी। उसे घटना की जानकारी आहत गंगाराम द्वारा दी गई। प्रकरण में बतौर चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.01 गजरा, पी.ड.03 जयंतीलाल, पी.ड.06 गंगाराम व पी.ड.08 गेनाराम परीक्षित हुए हैं, जिसमें आहत गंगाराम व जयंतीलाल के चोट प्रतिवेदन प्रदर्शित करवाए गए हैं। अभियोजन की कहानी के अनुसार सर्वप्रथम झगडा जयंतीलाल के साथ हुआ। इस तथ्य की ताईद पी.ड.03 जयंतीलाल ने की और कहा कि घटना के रोज प्रकाश ने उसे मेले में पकडकर बाएं गाल पर थप्पड मारा और भागने लगा तो पीछे से पत्थर मारा फिर पनाराम ने आकर बताया कि गंगाराम के प्रकाश ने चाकु मारा। उक्त चाकु उसने प्रकाश से छीना और

पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घटना का चक्षुदर्शी साक्षी गजरा भी इस तथ्य का अनुसमर्थन करता है कि घटना के रोज प्रकाश ने जयंती को मारा, जिसका ओलबा गंगाराम ने प्रकाश को दिया तो प्रकाश ने गंगाराम के सिर पर चाकु से दो–तीन चोटें मारी। झगडे के दौरान जयंतीलाल ने प्रकाश से चाकु छीन लिया। पी.ड.08 गेनाराम भी मुख्य परीक्षण में अभियोजन की कहानी का अनुसमर्थन करता है, वहीं प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्वीकार करता है कि उसने अपने ससुराल वालों के कहने पर पुलिस व मजिस्ट्रेट को बयान दिया था, जैसा ससुराल वालों ने कहा, उसने वैसा ही बयान दिया। इस प्रकार उक्त साक्षी विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं है और उक्त साक्षी का कोई तात्विक मूल्य नहीं है। घटना का स्टार विटनेस व आहत गंगाराम अभियोजन की कहानी के इस तथ्य का अनुसमर्थन करता है कि घटना के रोज अभियुक्त प्रकाश ने जयंतीलाल को रोककर थप्पड मारा फिर प्रकाश उसे मिला तो उसने इस बात का प्रकाश को ओलबा दिया, जिससे प्रकाश ने उसके सिर पर चाकु से चार वार किए। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष ने विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया, परंतु चाकु से मारपीट करने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं हुआ।

20– न्यायालय के समक्ष प्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक मानव वध के प्रयास अर्थात् धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। उक्त बिंदु के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन करे तो अभियोजन की ओर से परीक्षित तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षी पी.ड.01 गजरा, पी.ड.03 जयंती व पी.ड.06 गंगाराम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त के साथ उनकी पूर्व में कोई रंजिश नहीं थी। आपराधिक मानव वध के गठन के लिए आवश्यक है कि:–

01. अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का हो।

02. या ऐसी शारीरिक क्षति, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो अर्थात् मानव वध का आशय अथवा ज्ञान होना आवश्यक है।

प्रकरण में स्वीकृत रूप से आहत गंगाराम के सिर पर चार कटे हुए घाव पाए गए। चोट संख्या 1 से 4 सिर पर कटे हुए घाव थे। इस संबंध में पी.ड.07 डॉ. गौरव मेवाडा की ओपीनियन महत्वपूर्ण है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि उसकी राय के अनुसार चोट संख्या 1 से 4 साधारण प्रकृति की थी और उक्त चोटें प्राणघातक नहीं थी। इस प्रकार विशेषज्ञ साक्षी की स्पष्ट साक्ष्य आई है कि आहत गंगाराम के सिर पर आई चोटें धारदार हथियार से व साधारण प्रकृति की थी। उक्त चोटें प्राणघातक नहीं थी, न ही प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। आहत जयंतीलाल के शरीर पर भी ऐसी कोई चोट नहीं थी, जो प्राणघातक हो या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। बचाव पक्ष ने क्रॉस प्रकरण की पत्रावली भी तलब करवाई है। क्रॉस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में जयंतीलाल, रमेश कुमार व रमेश कुमार पुत्र सकराराम के विरूद्ध धारा 341 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया, इसमें उक्त आहतगण ने जुर्म स्वीकार किया, जिस पर उन्हें दोषसिद्ध घोषित कर परिवीक्षा का लाभ दिया गया, जिसे न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श डी 01 व जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 02 द्वारा साबित किया है। इस तथ्य को अभियोजन के साक्षी भी स्वीकार करते है कि दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज हुए थे अर्थात् मामला फ्री फाईटिंग का था। अभियुक्त पक्ष व परिवादी पक्ष ने एक–दूसरे पर हमला किया, जिससे अभियुक्त के भी चोटें आई। इस तथ्य को पी.ड.07 डॉ. गौरव मेवाडा ने स्वीकार किया और कहा कि 31.03.2021 को पुलिस तहरीर पर उसने अभियुक्त प्रकाश के शरीर पर आई चोट का चोट प्रतिवेदन तैयार किया, जो प्रदर्श डी 03 है, जिससे आहत के दाहिनी आंख के पास निलगु हो रखी थी। इससे प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण के आहतगण ने अभियुक्त प्रकाश पर हमला कर उसके साथ मारपीट की, जिस पर प्रकाश ने आहत गंगाराम व जयंतीलाल के साथ मारपीट की। इस प्रकार अभियुक्त ने आहत गंगाराम के वध करने के आशय से या इस ज्ञान से कि उसके द्वारा कारित चोट से आहत का मानव वध कारित कर देगा, का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है।

21– जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का प्रश्न है, तो अभियोजन की ओर से परीक्षित तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षी/आहतगण पी.ड.01 गजरा, पी.ड.03 जयंतीलाल व पी.ड.06 गंगाराम का स्पष्ट कथन रहा है कि घटना के रोज अभियुक्त ने उन्हें साशय रोककर थप्पड, मुक्कों व पत्थर से मारपीट की तथा गंगाराम के सिर पर चाकु से मारपीट की। आहतगण के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 व 03 से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है कि आहतगण के शरीर पर धारदार हथियार से साधारण चोटें कारित हुई।

22– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में छुरी 15 दिन बाद बरामद की गई है व स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं हुए। हमारे विनम्र मतानुसार तीनों ही चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा मारपीट कर साधारण चोटें कारित किया जाना साबित किया है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षीगण के अभाव में अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं होता। जहां तक छुरी बरामदगी में विलंब का प्रश्न है, तो उक्त विलंब भी अभियोजन की कहानी में कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उक्त तीनों ही साक्षीगण का कहना है कि घटना के रोज ही जयंतीलाल ने प्रकाश से चाकु छीन लिया था। जहां तक चाकु या तलवार से मारपीट का प्रश्न है, तो पी.ड.07 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहत गंगाराम के सिर की चोटें तलवार जैसे किसी बडे धारदार हथियार से आ सकती है, चाकु से नहीं आ सकती। हमारे विनम्र मतानुसार पी.ड.07 के समक्ष न तो बरामद चाकु प्रस्तुत किया गया, न ही तलवार। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आहत की चोटें बरामद छुरी से नहीं आ सकता हो। इस प्रकार उपरोक्त तर्क अभियुक्त की कोई सहायता नहीं करते।

23– **<u>निष्कर्षतः</u>** अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है कि घटना के रोज अभियुक्त ने आहतगण को रोककर धारदार हथियार चाकु से मारपीट कर साधारण चोट कारित की, परंतु अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति एवं धारा 341, 323 व 324 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धी का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

24– परिणामतः अभियुक्त प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम, उम्र 20 साल, निवासी गिरवर, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 324 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है । अभियुक्त के अन्वीक्षार्थ लिये गये जमानत मुचलके एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

(सुरेश कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सँख्या–02
आबूरोड, जिला सिरोही

25– दण्ड के प्रश्न पर सुना गया । अधिवक्ता अभियुक्त की प्रार्थना है कि अभियुक्त 20 वर्ष का नवयुवक है। प्रथम अपराध है। अचानक झगडे में चोटें आई थी। पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया। वर्तमान में कानुन का विद्यार्थी है। अतः उसके प्रति नरमी बरती जावे व परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

26– विद्वान अधिवक्ता परिवादी व अपर लोक अभियोजक की बहस रही है कि अभियुक्त ने आहत के सिर पर चाकु से चोटें कारित की है, जो एक गंभीर अपराध है। अतः उसे उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

27– सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। बरवक्त घटना अभियुक्त की आयु 20 वर्ष थी। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही पूर्व में दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। वर्तमान में विधि का विद्यार्थी होना दर्शित किया गया है। अभियुक्त द्वारा दर्ज करवाया गए क्रॉस प्रकरण में भी परिवादी पक्ष को परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को तुरन्त कारावास से दण्डित किए जाने की बजाय परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

दण्डादेश

28– परिणामतः अभियुक्त प्रकाश कुमार पुत्र किकाराम, उम्र 20 साल, निवासी गिरवर, पुलिस थाना आबूरोड सदर, जिला सिरोही को धारा 341, 323 व 324 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्ध अपराध में तुरंत दण्डित किए जाने की बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त आगामी दो वर्ष की अवधि तक परिशान्ति एवं सदाचार बनाए रखने, नेक चलन से रहने, पुनः अपराध में लिप्त नहीं होने व शर्त भंग करने पर न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर दण्ड भुगतने के लिए स्वयं न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने बाबत् रूपये पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी कदर राशि की सुदृढ प्रतिभूति प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे, तो उसे परिवीक्षा पर स्वतंत्र कर दिया जावे । साथ ही अभियुक्त पर धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र) बतौर क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त राशि जमा होने पर परिवादी/आहत गंगाराम पुत्र जगाराम को लौटा दी जावे।

29– परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत अभियुक्त पर दोषसिद्धि से जुड़ी कोई निरर्हता लागू नहीं होगी।

30– प्रकरण में जब्तशुदा अन्य वजहसबूत बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन, अपील नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।

(सुरेश कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सँख्या–02
आबूरोड, जिला सिरोही

31– निर्णय एवं आदेश आज दिनाँक 29.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

(सुरेश कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सँख्या–02
आबूरोड, जिला सिरोही

HITESH KUMAR VAISHNAV
Digitally signed by HITESH KUMAR VAISHNAV
Date: 2026.07.30 09:42:26 +0530